

तारीख
दुकान

30⁹/₂₀

पठावली पेश हो कमील पञ्जाब
उपरोक्त इलाक़े पेश के इतिहास
की बख़्त हुनी गरी। उपरोक्त
शहीदाग़ के विरुद्ध के इलाक़े पेश
के इलाक़े नगरों में इलाक़े बंद
के दौरान ग़ाम। बंदक शुरू हुई
मिदल वारं इलाक़े में 'रिजिस्ट्र
5-10-20 की पेश हुई

5¹⁰/₂₀

पठावली पेश हो कमील पञ्जाब
उपरोक्त बंदक शुरू है हुनी गरी
युक्त हो। उक्त पञ्जाबग़ान की
उपरोक्त के उपरोक्त शहीदाग़ व
पठावली के इलाक़े पठावली, शहीदाग़
मिदल का इलाक़े का मिदल
ग़ाम। उपरोक्त शहीदाग़ ग़ाम
मिदल ग़ाम हो इलाक़े वारी के
वस मुलाक़िक शहीदाग़ इलाक़े
मिदल मिदल ग़ाम हो, मिदल
पुस्तक से लिखा ग़ाम शहीदाग़
मिदल है। पठावली मिदल हुनी
होकर दारिख 5 दिसंबर है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
हयवा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा (राज0)

मिसल नं. 03/2020

निर्णय दिनांक:-05.10.2020

पीठासीन अधिकारी- रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

- 1- निशान्त ना0बा0 पुत्र हरिशोभाग जरिये माता उर्मिला पत्नि हरिशोभाग जाति मीणा निवासी केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

(वादी)

बनाम

- 1- हरिशोभाग पुत्र सुरजमल जाति मीणा निवासी केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
2- पूनम पुत्री हरिशोभाग जरिये संरक्षक पिता ,जाति मीणा निवासी केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा(राज0)

(प्रतिवादीगण)

- 1- वादीगण की ओर से श्री इन्द्रजीत मीणा एडवोकेट
2- प्रतिवादीगण 1 ता 3 की ओर से श्री पृथ्वीराज वैष्णव एडवोकेट

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88,188 आर .टी .एक्ट.

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबन्दी सम्वत्/2073-2076 की खाता संख्या 182 में खसरा संख्या 179 रकबा 1.24 है0, खसरा संख्या 411 रकबा 4.76 है0, कुल किता 2 की रकबा 6.00 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता , प्रतिवादी क्रम 1 की खातेदारी में दर्ज है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि संबोधित किया गया है।



यह कि उक्त वर्णित विवादित आराजी वादीगण की पेटुक सम्पत्ति है। उक्त पेटुक सम्पत्ति जो प्रतिवादी क्रम 1 को उनके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि पेटुक होने से वादी का जन्म से ही विवादित भूमि में हित उत्पन्न हो गया है व वादी अपने निहित 1/2 हिस्से की भूमि खातेदारी की घोषणा करवा कर पृथक बंटवारा करवाने का कानूनी अधिकारी है। विवादित भूमि में वादीगण का जन्म से ही हित निहित है तथा वादी व प्रतिवादी क्रम 1 इसी अनुरूप विवादित भूमि पर अपने- अपने हित के अनुसार भूमि शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहे है। किन्तु राजस्व अभिलेख में नाम न होने से वादी को भू-सुधार, कृषि ऋण प्राप्त करने व अन्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न होने लग गई है। इन परिस्थितियों में वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय की सहायता से स्वयं के 1/2 हिस्से की घोषणा करवाकर पृथक से विभाजन करवाये।

यह कि विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क्रम 1 का नाम शोभागमल अंकित है, जबकि समस्त राजकीय दस्तावेजों में भी प्रतिवादी क्रम 1 का नाम हरिशोभाग है, तथा प्रतिवादी क्रम 1 का वास्तविक नाम हरिशोभाग ही है। इस कारण भी वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी की वल्दियत हरिशोभाग अंकित किया जाना न्यायहित में परम आवश्यक है।

यह कि पक्षकार मीणा जाति के सदस्य है तथा मीणा जाति के व्यक्तियों पर हिन्दु उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होता है तथा मीणा जाति के सदस्य शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होते है जिसके अनुसार पुत्र होने की स्थिति में पिता की सम्पत्ति में पुत्री को कोई हित प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वादी के रहते प्रतिवादी क्रम 2 का विवादित भूमि में कोई हक निहित नहीं है। विवादित भूमि के किसी भी भाग पर प्रतिवादी क्रम 2 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। वाद कारण दिनांक 11.11.2019 को वादी द्वारा उनके पिता प्रतिवादी क्रम 1 से बंटवारा करने बाबत निवेदन करने व उनके द्वारा इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ है।

अतः वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 की खाता संख्या 182 में खसरा संख्या 179 रकबा 1.24 है0, खसरा संख्या 441 रकबा 4.76 है0, कुल किता 2 की रकबा 6.00 है0 भूमि वादी को उनके निहित हिस्से 1/2 भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वादी के हिस्से की भूमि का पृथक से बंटवारा किया जाकर पृथक से लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये:-

- 1- नकल जमाबन्दी सम्वत 2018-2021 खाता सं0 23 ग्राम केशोपुरा
- 2- नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041 से 2060 ग्राम केशोपुरा



सपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा

नकल नामान्तरकरण सम्बन्धित खाता संख्या 196 ग्राम केशोपुरा

4- नकल जमाबन्दी सम्बन्धित 2073-76 खाता संख्या 182 ग्राम केशोपुरा

5- वारिस प्रमाण पत्र

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण 1 ता 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश कर वाद पत्र की समस्त मदों को स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी का जवाब सहमति पूरक होने से प्रकरण में तनकीयात की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में उभय पक्ष वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1ता 2 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। उक्त राजीनामा में विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 को निम्नानुसार पृथक से करने में एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने में पक्षकारान के मध्य सहमति हुई है। पक्षकारान के मध्य सहमति से राजीनामा निम्न प्रकार पेश किया है।

1- निशान्त ना0बा0 पुत्र हरिशोभाग जरिये वलि माता उर्मिला जाति मीणा का हिस्सा:-
(वादी)

खसरा नम्बर	रकबा	दिशा
411	4.76 है0 में से 3.00 है0	पूर्व दिशा
कुल 1 किता	कुल रकबा 3.00 है0	-

2- हरिशोभाग पुत्र सुरजमल जाति मीणा का हिस्सा:- (प्रतिवादी क्रम 1)

खसरा नम्बर	रकबा	दिशा
179	1.24 है0	सम्पूर्ण
411	4.76 है0 भूमि में से 1.76 है0	सम्पूर्ण परिचय
कुल किता 2	कुल रकबा 3.00 है0	-

यह कि प्रतिवादी क्रम 2 उक्त कृषि आराजीयात में अपना कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती व उक्त राजीनामा से सहमत है।


प्रकरण में उभय पक्षकारान के मध्य हुये आपसी सहमति से प्रस्तुत बंटवारा व उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान के मध्य सहमति पूर्वक प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद स्वीकार होने योग्य है।

अतः प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 को ग्राम केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबन्दी सम्बन्धित 2073-2076 की खाता संख्या 182 में खसरा


उपखण्ड मजिस्ट्रेट
हटावा

संख्या 179 रकबा 1.24 है०, खसरा संख्या 411 रकबा 4.76 है०, कुल किता 2 की रकबा 6.00 है० भूमि में प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पृथक-पृथक खातेदार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी क्रम 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शोभागमल पुत्र सुरजमल जाति मीणा के स्थान पर हरिशोभाग पुत्र सुरजमल जाति मीणा दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।


(रामावतार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी

इटावा
उपखण्ड मजिस्ट्रेट

इस प्रमाणित धारा 53, 83, 109 और 111 द्वारा

दिनांक 05/10/2020

उपखण्ड अधिकारी	रामावतार मीणा
सहायक उपखण्ड अधिकारी	...
...	...